5 3/24

प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवकता एक प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को आज सुनवाई में लेने बावत निवेदन किया। प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवकता प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि 3 ए छोटी के खाता संख्या 101/44 के मुरब्बा नम्बर 09 के किला नम्बर 21 की 0.0380 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1/0.215, 10/0.253, 11/0.253, 16/2 की 0.114, 17/0.253, 24/2 की 0.025, 25/0.253 कुल 1.404 हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है तथा इस इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है।

उक्त रकबा पर किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा प्रार्थी नियमानुसार सम्परिवर्तन करवा कर व्यवसायिक उपयोग करना चाहता है। पत्रावली में स्थगनास्देश होने के कारण प्रार्थी सम्परिवर्ततन नहीं करवा पा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को खारिज किया जाने का श्रम करें ताकि प्रार्थी नियमानुसार सम्परिवर्तन करवा सके।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली पेशी में ली जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली का मनन किया। राजपैरोकार की रिपोर्ट एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर चक 3 ए छोटी के खाता संख्या 101/44 के मुरब्बा नम्बर 09 के किला नम्बर 21 की 0.0380 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1/0.215, 10/0.253, 11/0.253, 16/2 की 0.114, 17/0.253, 24/2 की 0.025, 25/0.253 कुल 1.404 हैक्टेयर कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत वाद इस शर्त पर खारिज किया जाता है कि प्रार्थी उक्त आराजी का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवायेगा एवं 90 दिवस की अवधि के भीतर सम्परिवर्तन करवाये जाने के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वादगत आराजी का 90 दिवस क[illegible] करवाये जाने की स्थिति में प्रकरण पुनः रिस्टोर करा सके। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तकमील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner